

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-४ / अ०प्र०-१-१५ / २०१७

२८

/पटना, दिनांक- २८।०१।२०२१

१. श्री शंभू कुमार, कनीय अभियंता (गृह जिला-लखीसराय) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं०-०२ सहपठित ज्ञापांक-१४७ दिनांक-१८.०१.२०२१ द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज के कार्य प्रशाखा, नरपतगंज-२ में पदस्थापित किया जाता है। साथ ही कार्य फारबिसगंज के रिक्त कार्य प्रशाखा, नरपतगंज-३ का अतिरिक्त प्रभार भी अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है।

२. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।  
३. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

*अशोक कुमार मिश्रा*  
(अभियंता प्रमुख।)

ज्ञापांक :- ४ / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८८

/पटना, दिनांक- २८।१।२०२१

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-२, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे की संबंधित कनीय अभियंता को नए स्थान पर वेतन का भुगतान पूर्व स्थान से एल०पी०सी० प्राप्त होने के उपरान्त किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित कनीय अभियंता का सेवा पुस्त पूर्व के स्थान से अद्यतन सत्यापन कर प्राप्त कर ली जाय।

२. संबंधित कनीय अभियंता का वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर यह देख लिया जाय कि उनके नाम से कार्य मद में कोई अग्रिम लंबित है या नहीं। यदि ऐसा कोई राशि लंबित हो तो संबंधित कनीय अभियंता को आदेश दिया जाय कि पूर्व पदस्थापन स्थान से लिये गए अग्रिम का नियमानुकूल समायोजन कराकर समायोजन संबंधी प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध करायें, यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए बिना कार्य के लिए कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

*अभियंता प्रमुख।*

ज्ञापांक:- ४ / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८९

/पटना, दिनांक- २८।१।२०२१

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका-२ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*अभियंता प्रमुख।*

ज्ञापांक:- 4 / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८८

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

/ पटना, दिनांक- २४ / १ / २०२१

अभियंता प्रमुख ।

ज्ञापांक:- 4 / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८९

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

/ पटना, दिनांक- २४ / १ / २०२१

अभियंता प्रमुख ।

ज्ञापांक:- 4 / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८९

प्रतिलिपि:- श्री शंभू कुमार, निलंबन से मुक्त कनीय अभियंता, अभियंता प्रमुख कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि यथाशीघ्र नव पदस्थापित रथान पर योगदान देकर योगदान प्रतिवेदन से विभाग को अवगत करायें ।

/ पटना, दिनांक- २४ / १ / २०२१

अभियंता प्रमुख ।

ज्ञापांक:- 4 / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८९

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के आप सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप सचिव एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप सचिव / निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

/ पटना, दिनांक- २४ / १ / २०२१

अभियंता प्रमुख ।

ज्ञापांक:- 4 / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८९

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२ एवं ३, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

/ पटना, दिनांक- २४ / १ / २०२१

अभियंता प्रमुख ।

ज्ञापांक:- 4 / अ०प्र०-१-१५ / २०१७ ४८९

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

/ पटना, दिनांक- २४ / १ / २०२१

अभियंता प्रमुख ।